drinking water to the villages effected after 1972; and

(e) if so, the full details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) 1723 problem villages were provided with drinking water facilities in Uttar Pradesh under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme in 1982-83 upto 31-12-82. The district-wise No. of villages in the eight hill districts of Uttar Pradesh under this scheme during 1982-83 (upto December, 1982) is as under :-

Name of the district	No. of problem villages covered in 1982-83 (upto December, 1982)
Uttarkashi	Nil
Tehri	8
Dehradun	Nil
Chamoli	Nil
Pauri	Nil
Pithoragarh	Nil
Almora	Nil
Nainital	Nil

(b) The target for supplying drinking water to problem villages during 1983-84 has not yet been fixed. This will be done after the Budget is passed by the Parliament and allocation under the Accelerated Rural Water Supply Programme to be made the State Governments is finalised.

(c) to (e) Before the beginning of the Sixth Plan, the list of problem villages was revised and updated by the State Government. This list contained the villages which suffered from chronic scarcity or unsafe source of drinking water. No additions to this list are being contemplated for the present.

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में शंकुधारी किस्म के वृक्षों का लगाया जाना

7731. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में वनीकरण के नाम पर केवल शंकुधारी किस्म के वृक्ष लगाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शंकुधारी किस्म के वृक्षों में भू-संरक्षण और जल धारण की उतनी ही क्षमता है जितनी चौड़ी पत्तियों वाले वृक्षों में होती है ;

(ग) यहि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार को यह सलाह देता है कि इन इलाकों में सघन और चौड़ी पत्ती वाले तथा ओक आदि का वृक्षारोपण करें ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या वह इसके लिये उत्तर प्रदेश को सहायता देने के प्रश्न पर भी विचार करेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में चौड़ी पत्तियों वाले तथा शंकुधारी किस्म के वृक्ष लगाए जा रहे हैं ।

(ख) और (ग)

भूमि में मृदा और जल को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त उपायों में से यह एक श्रेष्ठ उपाय है जो स्थायी वनस्पति व्यवस्था उपलब्ध करता है । शंकुधारी और चौड़ी पत्तियों वाले दोनों प्रकार के वृक्ष इस प्रयोजन की पूर्ति करते हैं। उपयुक्त अनुपात में वाज और अन्य प्रजातियों को लगाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त विद्यमान हैं ।

(घ) हिमालयी क्षेत्र में (आपरेशन सोयल वाच) मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण, नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

और गंगा सिंध मैदान की बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित जलविभाजन प्रबन्ध की केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें चल रही हैं। जिनके अन्तर्गत मांग और प्राथमिकता के आधार पर उत्तर-प्रदेश सहित राज्यों को धन-राशि उपलब्ध करायी जाती है।

उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथोरागढ़ सहित कस्बों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

7732. **श्री हरीश रावत** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान उनके मन्त्रालय द्वारा विभिन्न शहरों, कस्बों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितनी राशि दी गई;

(ख) 1983-84 के लिये इस राज्य को शहर/कस्बा वार कितनी राशि जी जायेगी;

(ग) क्या अल्मोड़ा शहर के विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व तथा पिछड़ेपन को देखते हुए इस शहर के विकास के लिये गत वर्ष प्रदान की गई राशि को इस वर्ष दुगना कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि हाँ तो क्या इस योजना के अन्तर्गत वह पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) को लाभान्वित करने के बारे में भी विचार करेंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत नगरों के विकासार्थ उत्तर प्रदेश सरकार को 1982-83 में 59.00 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में दी गई है।

(ख) 1983-84 में राज्य के प्रत्येक नगर के लिये निधियों का नियतन राज्य सरकार द्वारा प्रेषित उपयोग प्रमाण-पत्र तथा प्रगति रिपोर्टों पर निर्भर होगा।

(ग) 112.08 लाख रुपये के अनुमोदित कार्यक्रम की तुलना में अल्मोड़ा के लिए अब तक 11.00 लाख रुपये की राशि की गई है।

प्रत्येक नगर के लिये केन्द्रीय सहायता अधिकतम 40 लाख रुपये तक सीमित है। वर्ष 1983-84 में अल्मोड़ा नगर को अतिरिक्त निधियों का रिलीज उत्तर प्रदेश सरकार पर निर्भर होगा कि वह नगर के लिए पहले किये गये रिलीजों की प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

(घ) राज्य सरकार द्वारा पता लगाए गए सभी 23 नगरों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए नगरों में से एक नगर के रूप में पिथौरागढ़ नगर को शामिल नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश द्वारा वन भूमि पर निर्माण कार्य के लिए अनुमति मांगा जाना

7733. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अधिनियम 1980 के प्रभावी होने की तारीख से उनके मन्त्रालय को उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वन भूमि पर निर्माण कार्य हेतु सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी, उत्तर-काशी और टेहरी जिलों से मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने मामलों में अनुमति दी गई तथा कितने मामले प्रपत्र ठीक से भरे न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से उत्तर प्रदेश सरकार को लौटाये गये और कितने मामलों में अनुमति रोकी गई तथा उनका जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान केन्द्रीय दल अधिनियम वन क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास में बाधक सिद्ध नहीं हो रहा है ;